

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]
No. 57]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2004/पौष 24, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2004/PAUSA 24, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2004

का.आ. 68(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	रामाराव आदिक एजुकेशन सोसाइटी, डी वार्ड पाटिल बिल्डिंग, एम आइ जी कालोनी के	भवन निर्माण, उपस्करों, वातानुकूलितों, वाहनों आदि की खरीद ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए

	सामने, आदर्शनगर, वर्ली, मुम्बई- 400025.		75.00 करोड़ रु० ।
2.	अचकन एजुकेशनल ट्रस्ट, 703, कपूर टॉवर- 3, जेसल पार्क, भायान्तर (पूर्व), थाने- 401105, महाराष्ट्र ।	भूमि की खरीद तथा विकास, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण, फर्नीचर की खरीद तथा परियोजना को चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 947.00 लाख रु० ।
3.	जगदगुरु शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धर्मार्थ ट्रस्ट, व्यास मन्दिरम कन्नामपुजा रोड, चालाकुडी, केरल- 680307	(क) व्यास विद्यानिकेतन सेन्ट्रल स्कूल, चालाकुडी, केरल (ख) विवेकानन्द बाल विकास केन्द्र, पो० आ० चालाकुडी (ग) पातांजलि योग विद्या पीठम - (घ) जीवन रक्षा वेदी	कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 173.00 लाख रु०
4.	एस०एम०कुमार शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याण ट्रस्ट, 2125, चौथी क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोडामबक्कम, चेन्नई- 24.	स्टूडेंट होम (बोर्डिंग एवं लोजिंग) का निर्माण	कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005 और 2005-2006 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 68.80 लाख रु०
5.	अनुसंधान, शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु भारतीय औषधि संस्थान, केयर ऑफ डा० कारने हॉस्पिटल प्रा० लि० सतारा रोड, पूणे- 411037 पूणे.	निदानात्मक चिकित्सा सहायता हेतु अस्पताल (चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र) निर्माण तथा महाराष्ट्र के आदिवासी तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2556.00 लाख रु० ।

6.	श्री सन्त तुकदोजी महाराज ग्रामीण बहु-उद्देशीय शिक्षण संस्था, साधाकरवाडी वार्ड सं० 3, चिखलगाँव, तहसील-वानी, जिला-यवतंमाल, महाराष्ट्र ।	भूमि खरीद क्षेत्र विकास, अस्पताल बिल्डिंग, डाक्टरों, नर्सों के लिए रिहाइशी क्वार्टरों का निर्माण, उपस्करों, वाहनों, कंप्यूटरों, फर्नीचर तथा फिक्सचरों की खरीद और अस्पताल को चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 4834.21 लाख रु० ।
7.	आर०एन०एस०ट्रस्ट, नवी न कॉम्प्लेक्स, सं० 14, एम०जी०रोड, बंगलौर -560001.	अस्पताल बिल्डिंग की आंतरिक साज-सज्जा, चिकित्सा उपस्करों/उपकरणों आदि की खरीद ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 864.40 लाख रु० रूपए ।
8.	हिमकॉन (हिमालयन संरक्षण हेतु हिमालयन संघ) सं० 44, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017.	हिमालय को नया रूप देना तथा हरा-भरा बनाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 4.03 करोड़ रूपए ।
9.	श्री अबिका निकेतन ट्रस्ट, पारले पॉइंट आठवा लाइन्स, सूस्त-395007.	वरिष्ठ नागरिक गृह-श्री भास्तीमैया आनन्दधारा (वृद्धाश्रम) का निर्माण तथा परियोजना को चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2.92 करोड़ रु० की कार्पस निधि सहित 4.21 करोड़ रूपए ।

10.	दीपालय, 46, संस्थानिक क्षेत्र, डी- ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058.	औषधालय हेतु भवन निर्माण, फर्नीचर, उपस्करों तथा वैन की खरीद और मेवात के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों के लिए स्वास्थ्य परियोजना को चलाना ।	कर निर्धारण वर्ष 2004- 2005, 2005-2006 और 2006-2007 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 97.18 लाख रूपए ।
-----	---	--	---

2. यह अधिसूचना उक्त सारणी की क्रम सं० 1 एवं 4 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 के संबंध में दो वर्षों की अवधि के लिए तथा क्रम सं० 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2004-2005, 2005-2006, और 2006-2007 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 20/2004/फा. सं. एन.सी.-333/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)